242वें सत्र से संबंधित समापन भाषण

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, इस वर्ष 31 जनवरी, 2017 को आरम्भ हुआ राज्य सभा का यह 242वाँ सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस सभा की 29 बैठकें हुईं जिनके दौरान 136 घंटों से अधिक समय तक सभा में विचार-विमर्श हुआ।

इस सत्र का आरम्भ 31 जनवरी, 2017 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में दिए गए अभिभाषण के साथ हुआ था और इसमें बहुत अधिक विधायी कार्य सम्पादित किया गया। कुल मिलाकर, सभा ने 14 सरकारी विधेयक पारित किए अथवा लौटाए, जिन पर रोचक बहस हुई। केन्द्रीय बजट, 2017-18 और रेल मंत्रालय के कार्यकरण तथा जीएसटी विधेयकों पर विस्तार से चर्चा हुई।

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को सरोकार और उत्कंठा से उठाने के प्रति सदस्यों की तत्परता का पता इस बात से चलता है कि सदस्यों द्वारा 205 शून्यकाल निवेदन और 76 विशेष उल्लेख किए गए और 435 तारांकित प्रश्न हुए और उन पर 535 से अधिक अनुपूरक प्रश्न और 4629 अतारांकित प्रश्न पूछे गए।

पिछली दो पंक्तियों में बैठने वाले सदस्यों की इन उपकरणों का उपयोग करने में भागीदारी उल्लेखनीय रही। कुल 205 शून्यकाल निवेदनों में से 86 मामले उनके द्वारा उठाए गए जोकि कुल निवेदनों का लगभग 42 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार से उन्होंने लगभग 260 अनुपूरक प्रश्न पूछे जो कि पूछे गए कुल अनुपूरक प्रश्नों का लगभग 48 प्रतिशत हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों ने 33 विधेयक पुर:स्थापित किए। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों के जरिए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव सुधार तथा आधार से संबंधित मामलों पर अल्पकालिक चर्चाओं के रूप में सजीव बहस हुई।

जहां पश्चिमी बंगाल राज्य से उप-चुनाव में निर्वाचित हुए एक नए सदस्य सभा में सम्मिलित हुए, वहीं हमने अपने एक प्रतिष्ठित वर्तमान सदस्य, हाजी अब्दुल सलाम, जिनका निधन 28 फरवरी, 2017 को हुआ, को खो दिया।

मैंने महासचिव से इस सत्र से संबंधित सूचनात्मक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है।

मैं सभा के समग्र कार्य संचालन में सभा के नेता, विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्रियों, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

मैं उप-सभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी उनकी सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।